

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-8  
संख्या-517/2017/9(120)/XXVII(8)/2017  
देहरादून: दिनांक: 29 जून, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

आएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 003) की धारा 11 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद वगैरे सिफारिशों पर पूर्तिकार, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जो पुराने माल का क्रय और विक्रय करता है तथा मूल्यांकन नियम के नियम 32 के उपनियम (5) के अधीन यथा अवधारित ऐसे पुराने माल की जावक पूर्ति के मूल्य पर राज्य कर का संदायकर्ता है, द्वारा किए गए पुराने माल की राज्य के भीतर पूर्ति को उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उरा पर उद्ग्रहणीय राज्य कर से पूर्णतः छूट प्रदत्त करने की सहर्ष रवीकृति प्रदान करते हैं।


2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

(राजा सूजी)  
मुख्य सचिव

सं० 517/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिकारियों व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला अधिकार को अधिसूचना वगैरे हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियों वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दे।
- 3- भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4- अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन।ओ.आई।सी।
- 6- गार्ड फ़ाइल हेतु।

आज्ञा से,  
  
(हीरा सिंह बसेन)  
अनुराग

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 517/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 20 June, 2017 for general information


**Government of Uttarakhand**  
**Finance Section-8**  
**No. 517 /2017/9(120)/ XXVII(8)/2017**  
**Dehradun :: Dated :: 21 June, 2017**

**Notification**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council is pleased to allow to exempt intra-State supplies of second hand goods by a supplier, who is not registered, to a registered person, dealing in buying and selling of second hand goods and who pays the State tax on the value of outward supply of such second hand goods as determined under sub-rule (5) of rule 32 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, from the whole of the State tax leviable thereon under sub-section (4) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017).

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

  
(Radha Raturi)  
Principal Secretary